

डिक्री बमुकदमें ईक्टदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर- /2019

1. अनुपम पुत्र पतराम जाति गुसाई निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. पतराम पुत्र मदनगिर
2. मन्जू पुत्री पतराम
3. रेखा पुत्री पतराम
4. पूनम पुत्री पतराम
5. भूमिका पुत्री पतराम } जाति गुसाई निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन
मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया
जाता है व डिक्री दी जाती है कि चकनं0 11 एम.के.एस के खाता सं0 47/36 में कुल
1.265 है0 में से प्रतिवादीसं0 1 के नाम से दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि का वादी
अनुपम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 11 एम.के.एस के खाता
सं0 47/36 में से प्रतिवादीसं0 1 पतराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक
ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया
जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें
के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
अदा करें।

वसक्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....05-07-2019.....को जारी
किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी